

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक-

04/उ0वि0 (स0) विविध-02/18

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकास भवन स्थित उद्योग विभाग के द्वितीय/तृतीय तल के जिर्णोद्धार/मरम्मत किये जाने हेतु 3,31,134/- (तीन लाख इकतीस हजार एक सौ चौतीस) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

निदेशानुर उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विकास भवन स्थित उद्योग विभाग के द्वितीय/तृतीय के जिर्णोद्धार/मरम्मत के अंतर्गत False ceiling light and Fan. A.C. Point Computer Points से सम्बंधित कार्य कराने हेतु रू0 3,31,134/- (तीन लाख इकतीस हजार एक सौ चौतीस) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल सं0-1 भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 18 दिनांक 04.01.18 द्वारा उद्योग विभाग के द्वितीय/तृतीय तल के जिर्णोद्धार/मरम्मत कार्य हेतु 3,31,134/- (तीन लाख इकतीस हजार एक सौ चौतीस) रुपये मात्र का अनुमोदित तकनीकी प्राक्कलन प्राप्त हुआ है।
3. उक्त योजना हेतु स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102 औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या-23, उप शीर्ष 0163-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख रखाव-बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड 23-2852801020163, विषय शीर्ष 2701, लघु कार्य मद में उपबंधित/आवंटित राशि से विकलित होगा। जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।
4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रशीद के आधार पर फार्म BTC-25 पर करेंगे। सहायक निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना उक्त राशि को निफट/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्यप्रमंडल, सं0-1, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएंगे।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड अंकित करेंगे।
6. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या-04/उ0वि0 (स0) विविध-02/18 के पृष्ठ 09/टि0 पर दिनांक 26.02.2018 को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या-500/IDC दिनांक 26.02.2018 है।
7. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 04/उ0वि0 (स0) विविध-02/18 के पृ0 13/टि0 पर दिनांक 16.03.18 को प्राप्त है।
8. वित्त विभागीय पत्रांक-7355/वि0(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

04/उ0वि0 (स0) विविध-02/18

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

04/उ0वि0 (स0) विविध-02/18

प्रतिलिपि :- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियो में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

1202

04/उ0वि0 (स0) विविध-02/18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्यप्रमंडल, सं0-01, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आईटी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-3(उ0नि0)/प्रशाखा-1 योजना (स0) एवं प्रशाखा-04, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- 20.03.18

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।